

08-1-24

वकील डिफेंडर अपे०। वकील डिफेंडर की ओर से एक
प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में पालन
दिनांक 15-9-21 को हो चुकी है अब प्रकरण में कोई
कार्रवाई शेष नहीं है। अतः प्रकरण में कोई कार्रवाई शेष
नहीं होने के कारण पत्रावली प्रोसेस की जाकर दायर
दफतर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)